न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 77/2015

उनवान

1. पांचूलाल पुत्र हजारीलाल जाति रेगर नि0 तैजा चौक कन्या पाठशाला के पास श्रीनगर, अजमेर,
2. सीता पुत्री हजारीलाल पत्नी मेवालाल जाति रेगर नि0 माखुपुरा, अजमेर,
3. गीता पुत्री हजारीलाल पत्नी ग्यारसीलाल जाति रेगर नि0 माखुपुरा अजमेर,
4. रामकन्या पुत्री हजारीलाल पत्नी रतनलाल, जाति रेगर नि. ग्राम रामसर, नसीराबाद,
5. शारदा पुत्री हजारीलाल पत्नी रामकरण जाति रेगर, नि0 गोदाम मण्डी, नसीराबाद

––वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री ललित नारायण मेहरा

बनाम

1. मिश्री पुत्र मांगू,
2. सुखपाल पुत्र मांगू,
3. शांति पत्नी श्रीकिशन,
4. भंवरलाल पुत्र श्रीकिशन,
5. तेजू पुत्र श्रीकिशन,
6. रणजीत पुत्र श्रीकिशन,
7. किसनी पत्नी धन्ना,
8. रामलाल पुत्र धन्ना,
9. शांति पत्नी पोलू,
10. मीठुलाल,
11. कैलाश,
12. सीता,
13. प्रेम,
14. राधा,
15. चौथी,
16. संतोष पि0 पोलू,
17. ग्यारसी,
18. महावीर,
19. जगदीश,
20. गोपाल,
21. कमला,
22. गीता,
23. मैना पि0 भज्जा,
24. राजू,
25. पांचू,
26. बाबू,
27. रामदेव पि0 घन्ना,
28. सीता पत्नी सूरजमल,
29. रंगलाल,

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:24 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

30. सोहनलाल पि0 सूरजमल,
31. सुमित्रा पुत्री सूरजमल
32. नाथू पुत्र छोगा समस्त जाति रेगर नि0 ग्राम हनुवंतिया, नसीराबाद,
33. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 33 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 5/8/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हनुवंतिया की निम्न आराजी वादीगण के पिता हजारी पुत्र उरजा की है :—

खेवट खाता नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
106	315	3—6—10	बा.2
	316	1—3—00	बा.2
	317	6—12—0	बा.2

उपरोक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् वादीगण के पिता हजारी पुत्र उरजा जाति रेगर के नाम दर्ज है। उपरोक्त आराजी वंकिंग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से वादीगण के स्व. पिता के स्थान पर मांगू व धन्ना पि. चेला जाति रेगर के नाम अंकित कर दी गई। वादीगण के पिता की मृत्यु होने के कारण उक्त आराजी वादीगण को जरियें विरासत प्राप्त हुयी है। आराजी मुतनाजा पर वादीगणा काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्णा इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को बैचान करने व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 32 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा सन फसली 1349 में हजारी पुत्र उरजा के नाम दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख मं आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. आया वादी विरूद्व, प्रतिवादीगण स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व वादी पांचूलाल का शपथ पत्र पेश किया। राज. पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णाय निम्नवत् है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:24 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तनकी संख्या 1 व 2 :–

आराजी मुतनाजा चैसाला खसरा नम्बर 315, 316 व 317 सन् फसली 1349 में वादीगण के पिता हजारी पुत्र उरजा के नाम दर्ज है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2024–2026 में उक्त आरजी मांगू, धन्ना पि. चेला के नाम खातेदार दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी प्रतिवादीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण सन् फसली के इन्द्राज के आधार पर आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण बताते है। जबकि वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अजमेर जिले में लागू दिनांक की चौसाला जमाबंदी वादीगण द्वारा पेश नही गयी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सन् फसली राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अजमेर जिले में लागू दिनांक से पूर्व की है। चौसाला जमाबंदी में भी आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज है। उसी इन्द्राज के आधार पर आराजी मुतनाजा वर्किंग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778 प्रतिवादीगण के नाम अंकित की गयी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर अपना कब्जा सिद्व करने हेतु कोई ठोस दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही किये है। भूमि का वर्तमान इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अजमेर जिले में लागू दिनांक से चलता आ रहा है। वादीगण द्वारा उक्त वाद 2015 में पेश किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

उक्तानुसार गाम हनुवतिया के हाल खसरा नम्बर 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पांचूलाल बनाम मिश्री

दावा बाबत 88, 188 राज का अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिलिनयम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 77/2015
पेश करने की दिनांक – 03.07.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक ललित नारायण मेहरा मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम हनुवतिया के हाल खसरा नम्बर 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअख्त दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:24 IST
Reason: SelfAttested